भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 436

दिनांक 04 फरवरी, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड

436. श्री बालाशौरी वल्लभनेनी:

क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल ही में तेलंगाना में राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड की स्थापना की है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित बोर्ड के लक्ष्य और उद्देश्यों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में मिर्च बोर्ड की स्थापना के लिए वास्तविक मांग की गई है; और

(घ) यदि हां, तो गुंटूर, आंध्र प्रदेश में मिर्च बोर्ड का गठन किए जाने में सरकार के समक्ष आने वाली बाधाओं का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

<u>वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री</u>

(श्री जितिन प्रसाद)

(क): जी हाँ, भारत सरकार ने दिनांक 14.01.2025 को राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का उद्घाटन किया, जिसका मुख्यालय निज़ामाबाद, तेलंगाना में है।

(ख): सरकार ने दिनांक 04.10.2023 की अधिसूचना के माध्यम से 'राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड' की स्थापना को अधिसूचित किया। उक्त अधिसूचना का पैराग्राफ 2 राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के उद्देश्यों को निर्धारित करता है, जो नीचे सूचीबद्ध हैं:

i. हल्दी में नए उत्पाद विकास और मूल्य संवर्धन को बढ़ावा देना;

ii. अंतरराष्ट्रीय बाजारों में हल्दी और हल्दी उत्पादों के प्रति जागरूकता और उपभोग को बढ़ावा देना;

iii. मूल्य संवर्धित हल्दी उत्पादों के विकास के लिए संभावित अंतरराष्ट्रीय बाजारों में बाजार अनुसंधान को सुविधा प्रदान करना;

iv. हल्दी और हल्दी उत्पादों के निर्यात के लिए अवसंरचना और लॉजिस्टिक्स के सृजन और सुधार को सुविधाजनक बनाना;

v. फारवर्ड एवं बैकवर्ड लिकेजों को मजबूत करके हल्दी और हल्दी उत्पादों के लिए लचीली और सतत आपूर्ति श्रृंखलाओं के निर्माण को प्रोत्साहित करना;

vi. हल्दी की आपूर्ति श्रृंखला में गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों के अनुपालन को बढ़ावा देना;

vii. मूल्य संवर्धन गति क्रियाकलापों के लिए हल्दी उत्पादकों की क्षमता निर्माण और कौशल विकास को बढ़ावा देना;

viii. हल्दी के उपयोग और इसके अनुप्रयोगों से संबंधित पारंपरिक ज्ञान का दस्तावेजीकरण को मजबूत करना;

ix. हल्दी के औषधीय, स्वास्थ्य और आरोग्य सवंर्धिक गुणों पर अध्ययन, नैदानिक परीक्षण और अनुसंधान को प्रोत्साहित करना; और .

x. कोई अन्य उद्देश्य जिसे केंद्रीय सरकार द्वारा हल्दी क्षेत्र के संवर्धन और विकास के लिए निर्धारित किया जाए।

(ग) और (घ): मिर्ची बोर्ड की स्थापना के लिए अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं, हालांकि वर्तमान में, केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय (एमए एंड एफडब्ल्यू) और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के तहत मसाला बोर्ड देश में पहले ही मिर्च सहित मसालों के उत्पादन, अनुसंधान, गुणवत्ता प्रबंधन, घरेलू विपणन और निर्यात संवर्धन के विभिन्न पहलुओं को कवर करते हैं।

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय मिर्च सहित बागवानी फसलों के विकास के लिए एकीकृत बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच) के तहत कई कार्यक्रमों को लागू करता है। मिशन कार्यक्रमों का उद्देश्य उत्पादन, उत्पादकता और गुणवत्ता को बढ़ाना है ताकि घरेलू के साथ-साथ निर्यात बाजार में बढ़ती मांग को पूरा किया जा सके। इनमें से प्रमुख हैं क्षेत्र विस्तार, गुणवत्ता वाले बीजों का उत्पादन और वितरण, एकीकृत कीट और रोग प्रबंधन/एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन, जैविक खेती, यांत्रिकीकरण, एकीकृत फसल-पश्चात प्रबंधन आदि। ये कार्यक्रम मुख्य रूप से विभिन्न राज्यों में संबंधित राज्य बागवानी मिशनों के माध्यम से लागू किए जाते हैं।

मसाले बोर्ड अपने अधिदेश के अनुसार मिर्च उत्पादकों और अन्य हितधारकों को फसल पश्चात सुधार, बाजार लिंकेज बनाने, मूल्य संवर्धन आदि के संबंध में सहयोग करने के अलावा मिर्च के निर्यात को बढ़ावा देने और गुणवत्ता प्रबंधन संबंधी कार्यकलाप करता है। बोर्ड ने आंध्र प्रदेश के गुंटूर में एक क्षेत्रीय कार्यालय, गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशाला और एक मसाला पार्क स्थापित किया है जो मिर्च के हितधारकों को सहयोग प्रदान करता है और मिर्च क्षेत्र के लिए कार्यक्रमों के कार्यान्वयन का समन्वय करता है।

***